

पर्यावरण उपदल \*  
संरचना एवं कृत्य

(अ)	संरचना	(ब)	कृत्य
1.	सचिव, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	अध्यक्ष	(i) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने तथा उनको नर्मदा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजना की दी गई स्वीकृति के पूर्णतः समानुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से पूरी नर्मदा घाटी के लिए आयोजित तथा कार्यान्वित किए जाने वाले पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का निर्धारण ।
2.	कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	सदस्य	(ii) अपेक्षित आँकड़ा-आधार, पद्धतियाँ जिनके द्वारा आँकड़ा आधार तैयार किया जाना है तथा ऐसे प्रलेखों का तैयार करने के कार्य को हाथ में लेने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को अभिज्ञात करने सहित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों के विचारार्थ विषयों को निर्धारित करना ।
3.	उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश सरकार	सदस्य	
4.	सचिव(पर्यावरण) महाराष्ट्र सरकार	सदस्य	(iii) सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों तथा उनके मानांकन मापदण्डों के संबंध में मंत्रालयों एवं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अनापत्ति लेने हेतु कार्य योजनाएँ तैयार करवाना ।
5.	सचिव, (पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास)	सदस्य	
6.	सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य	(vi) एक ऐसे प्रबोधन एवं मूल्यांकन तंत्र का विकास करना जिससे कि परियोजना की स्वीकृति देते समय किए गए अनुबन्धों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके ।
7.	आयुक्त (नीति एवं योजना) जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य	
8.	उप महानिदेशक, भा.कृ.अ.परिषद	सदस्य	(v) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के समुचित कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धकीय क्षमता के साथ स्थापित किए जा रहे आवश्यक संगठन का नामांकन ।
9.	उप महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य	
10.	निदेशक, वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून	सदस्य	(vi) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के आयोजन एवं कार्यान्वयन में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की सहायता देने हेतु आवश्यक सभी उपाय हाथ में लेना ।
11.	डॉ.एस.रामशेषण, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ।	सदस्य	
12.	महानिदेशक, भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण विभाग	सदस्य	(vi) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के आयोजन एवं कार्यान्वयन में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की सहायता देने हेतु आवश्यक सभी उपाय हाथ में लेना ।
13.	डॉ. शेखरसिंह संकाय भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली	सदस्य	
14.	प्रोफेसर आर.के.कट्टी, (सेवानिवृत्त) भारतीय, प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	सदस्य	(vi) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के आयोजन एवं कार्यान्वयन में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की सहायता देने हेतु आवश्यक सभी उपाय हाथ में लेना ।
15.	महानिदेशक, भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण	सदस्य	
16.	महानिदेशक, राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	सदस्य	(vi) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के आयोजन एवं कार्यान्वयन में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की सहायता देने हेतु आवश्यक सभी उपाय हाथ में लेना ।
17.	वनस्पति विशेषज्ञ	सदस्य	
18.	सदस्य (पर्यावरण एवं पुनर्वास) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	सदस्य सचिव	

\*8 जनवरी 1988 को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने अपनी 27वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत गठित की

परिशिष्ट-IV

पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास उपदल \*

(अ)	संरचना	संरचना एवं कृत्य	कृत्य
1.	सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता मंत्रालय	अध्यक्ष	(i) सरदार सरोवर परियोजना की डूब भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण कार्य की प्रगति का प्रबोधन ।
2.	कार्यकारी सदस्य, न.नि.प्रा सदस्य (पुनर्वास)	सदस्य	(ii) सरदार सरोवर से प्रभावित होने वाले ग्रामों के संबंधित राज्यों द्वारा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन ।
3.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश सरकार प्रधान सचिव(पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास)	सदस्य	(iii) कार्यान्वयन के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास के कार्यों का पुनर्विलोकन करना ।
4.	नर्मदा विकास संसाधन एवं जल आपूर्ति विभाग, गुजरात सरकार प्रधान सचिव(राहत एवं पुनर्वास)	सदस्य	(iv) पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास के मामले में प्रगति के प्रबोधन तथा मूल्यांकन के बारे में प्रत्येक राज्य द्वारा नियोजित एजेन्सियों की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करना ।
5.	महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई ।	सदस्य	(v) सरदार सरोवर परियोजना हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति को दृष्टिगत रखते हुए बाँध की उँचाई को बढ़ाने तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कार्यों का साथ-साथ प्रबोधन एवं पुनर्विलोकन करना ।
6.	प्रधान सचिव(राजस्व) राजस्थान सरकार	सदस्य	(vi) सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में शामिल राज्यों/एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करना ।
7.	सचिव, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता मंत्रालय, गुजरात सरकार, गाँधी नगर	सदस्य	(vii) सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास के किसी भी मामले के कोई या सभी कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए हाथ में लेना ।
8.	आयुक्त (परियोजना एवं नियोजन) जल संसाधन मंत्रालय,	सदस्य	
9.	सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश सरकार	सदस्य	
10.	सचिव, जनजपति विकास सम्भाग, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	सदस्य	
11.	आयुक्त, जानजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल	सदस्य	
12.	आयुक्त (पुनर्वास) सरदार सरोवर पुनर्वसाहट एजेन्सी, बड़ौदा	सदस्य	
13.	संयुक्त सचिव/उपसचिव, जनजातीय मामले से सम्बद्ध मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य	
14.	प्रोफेसर, एम.एच.कुरेशी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य	

\*6 दिसम्बर 1999 को सम्पन्न हुई नियंत्रण प्राधिकरण की 59वीं बैठक द्वारा गठित तथा 30 जुलाई 2003 को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 67वीं बैठक में संशोधित

(अ)	संरचना	(ब)	कृत्य
15	श्री एम.एस.बिल्लोरे, पूर्व सचिव, (सिंचाई) एवं सलाहकार		
16	डॉ.विमल पी.शह.विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद		सदस्य
17	श्री के.आर.दात्ये, परामर्श अभियन्ता, मुम्बई		सदस्य
18	प्रोफेसर शोभिता जैन, निदेशक, सामाजिक विज्ञान विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली		सदस्य
19.	डॉ.बी.आर.पाटिल, उपाध्यक्ष, बी.ए.आइ.एफ.विकास अनसंधान प्रतिष्ठान,बड़ौदा		सदस्य
20	श्री अभिजीत चक्रवर्ती,नूरमहल रोड, लेक व्यू होटल के समीप, भोपाल		सदस्य
21	सदस्य (पर्यावरण एवं पुनर्वास) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण		सदस्य— सचिव

**पुनर्वास समिति \***  
संरचना एवं कृत्य

(अ)	संरचना	(ब)	कृत्य
1.	सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता मंत्रालय	अध्यक्ष	(i) डूब ग्रामों में एवं उन क्षेत्रों में जाना जहाँ पुनर्वास किया जाना है, तथा पुनर्वास के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से होने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना ।
2.	सदस्य, (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश सरकार	सदस्य	(ii) नियमित अवधियों के अन्तर से पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण करना
3.	कार्यकारी संचालक, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, गुजरात सरकार	सदस्य	(iii) क्षेत्र भ्रमण के पश्चात प्रतिवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करना ।
4.	अतिरिक्त आयुक्त, सरदार सरोवर, नर्मदा निगम लिमिटेड, गुजरात सरकार	सदस्य	
5.	सचिव सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	सदस्य	
6.	सदस्य (पर्यावरण एवं पुनर्वास) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	सदस्य-सचिव	

\* श्री बी.डी.शर्मा द्वारा रिट याचिका संख्या 1201/1990 में माननीय (अब निर्णीत) माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित ।

नर्मदा मुख्य नहर उप समिति \*  
संरचना एवं कृत्य

(अ)	गठन	(ब)	कृत्य
1.	कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	अध्यक्ष	(i) धन की उपलब्धता को समुचित रूप से दृष्टिगत रखते हुए परियोजना के निर्माण के दौरान और बाद में अविलम्ब रूप से अधिकतम संलाभ प्राप्त करने की दृष्टि से सरदार सरोवर परियोजना यूनिट-2 नहरों के निर्माण में तालमेल तथा चरणबद्धता का निर्णय करना ।
2	सदस्य (सिविल) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	सदस्य	
3	सचिव नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	सदस्य	(ii) सम्बद्ध राज्यों से कार्यो तथा खर्चों के बारे में सावधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर परियोजना (युनिट-2) की विभिन्न उप इकाइयों के निर्माण की प्रगति का पुनर्विलोकन करना तथा जहाँ आवश्यक हो, कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सम्बद्ध राज्यों को परामर्श देना ।
4	सचिव (नर्मदा) गुजरात सरकार	सदस्य	
5	निदेशक (नहर तंत्र) सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, गुजरात सरकार  वैकल्पिक: मुख्य अभियंता, (नर्मदा मुख्य नहर-1) गुजरात सरकार	सदस्य	(iii) नर्मदा मुख्य नहर की संवीक्षा एवं इसके रूपांकन को स्वीकृति देना ।  (iv) असहमति को दूर करना, यदि कोई उत्पन्न हो, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों के मध्य नर्मदा मुख्य नहर के बारे में लागत के आँकड़ों की हिस्सेदारी को लेकर हो
6	मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार  वैकल्पिक: अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य	
7	मुख्य अभियंता, ननिप्रा.	सदस्य	
<b>आमन्त्रित</b>			
1	सचिव, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, भारत सरकार	स्थायी	
2	अन्य आमन्त्रितगण उपसमिति द्वारा तय/निर्धारित होंगे	आमन्त्रित	

जलमौसम विज्ञान उपदल \*  
संरचना एवं कृत्य

(अ) संरचना	(ब)	कृत्य
1 कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	अध्यक्ष	(i) घाटी में उपलब्ध जल संसाधनों के उचित मूल्यांकन हेतु स्वचालित यन्त्रों का प्रयोग करते हुए ऑकड़े, संग्रहण केन्द्रों के एक नेटवर्क का निर्माण
2 सदस्य (सिविल) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	सदस्य	
3 मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश	सदस्य	(ii) वास्तविक समय ऑकड़ा प्रेषण के लिए एक दूरसंचार नेटवर्क तथा ऑकड़ा सम्प्रेषण के लिए एक कम्प्यूटर प्रणाली का विकास करना ।
4 सरकार सदस्य (अभियान्त्रिकी)	सदस्य	
5 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सचिव, (नर्मदा),	सदस्य	
6 गुजरात सरकार मुख्य अभियन्ता(बॉध डिजाईन) सरदार सरोवर नर्मदा निगम	सदस्य	(iii) जलमौसम विज्ञान प्रणाली के प्रचारण एवं अनुरक्षण के लिए एक योजना तैयार करना ।
7 लिमिटेड गुजरात सरकार	सदस्य	
8 मुख्य अभियन्ता(उत्तर), सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य	(iv) दूरसंचार तथा कम्प्यूटर प्रणालियों सहित जलमौसम विज्ञान नेटवर्क के कार्यान्वयन का प्रबोधन ।
9 मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार मुख्य अभियन्ता, न.नि.प्रा.	सदस्य-सचिव	(v) बाढ़ पूर्वानुमान तथा जलाशय विनियमन के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर/क्रिया पद्धति विकसित करना ।
<b>आमन्त्रित:</b>		
1 अतिरिक्त निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	सदैय-आमन्त्रित	
2 मुख्य अभियन्ता, नर्मदा कछात संगठन,		
3 केन्द्रीय जल आयोग सचिव, सरदार सरोवर निर्माण		
4 सलाहकार समिति अन्य आमन्त्रितगण कार्यसूची आवश्यकताओं के अनुरूप उपसमिति द्वारा निर्णीत होंगे		

11 नवम्बर 1997 को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने अपनी 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 29 जनवरी 1998 की अधिसूचना संख्या न.नि.प्रा डी-5(56)/98/190 के तहत गठित की गई थी

उर्जा (विद्युत) उपसमिति \*  
संरचना एवं कृत्य

(अ)	संरचना	(ब)	कृत्य
1	सदस्य (विद्युत) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	अध्यक्ष	(i) सरदार सरोवर परियोजना समूह के विद्युत केन्द्रों से उत्पादित विद्युत का प्रबोधन और
2	प्रबंध निदेशक गुजरात विद्युत संचारण निगम ** लिमिटेड	सदस्य	हितग्राही राज्यों के बीच उसके विभान को सुनिश्चित करना
3	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ** मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	सदस्य	सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत केन्द्रों से हितग्राही राज्यों तक विद्युत पहुँचाने के लिए संचारण लाइनों का संरेखन
4	मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल	सदस्य	
5	मुख्य अभियन्ता (विद्युत) सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	सदस्य	
6	सदस्य (विद्युत/अभियांत्रिकी) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सदस्य	
7	सदस्य सचिव परिश्चमी क्षेत्रीय विद्युत मण्डल, मुम्बई	सदस्य	
8	मुख्य अभियन्ता, भारत प्रेषण व दूर संचार सम्भाग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य	
9	निदेशक (विद्युत), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	सदस्य-सचिव	

पर्यावरण समिति \*  
संरचना एवं कृत्य

(अ)	संरचना	(ब)	कृत्य
1	सदस्य (पर्यावरण एवं पुनर्वास) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	अध्यक्ष	सरदार सरोवर परियोजना व इंदिरा सागर परियोजना क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण करके पर्यावरण परियोजना क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण करके पर्यावरण
2	डॉ. एस.रामशेषन, गैरसरकार सदस्य	सदस्य	सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करवाना और
3	डॉ. आर.के.कट्टी, गैरसरकारी सदस्य	सदस्य	साथ-साथ कार्यान्वित किए जाने वाले
4	निदेशक/उनके नामित व्यक्ति भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून	सदस्य	पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पता लगाना व उनका निर्धारण करना ।
5	निदेशक/उनके नामित व्यक्ति भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता	सदस्य	
6	डॉ. नलिनी भट्ट, अपर निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य	
7	विशेषज्ञ (पर्यावरण) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	संयोजक	

8-15 महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात व राजस्थान की राज्य सरकारों को सरदार सरोवर परियोजना एवं इंदिरा सागर परियोजना के पर्यावरण सुरक्षा उपायों से संबंधित किए जाने वाले कार्यों को देख रहे प्रति राज्य को दो अधिकारी नामित करने होंगे, जो अपना अपने राज्यों में क्षेत्र भ्रमण के समय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।